

आरटीआई (सूचना का अधिकार) अधिनियम २००५ की धारा ४
के तहत
आरटीआई नियम-पुस्तिका

मुख्य सचिवालय
श्रम और रोजगार मंत्रालय

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ४ के अन्तर्गत जानकारी

धारा ४(१)(ख) (i): - इसके संगठनों, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण; भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, १९६१ के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को आवंटित विषय इस प्रकार हैं:

भाग I. संघ विषय

- १) केंद्रीय रेल के संबंध में - कारखाना अधिनियम और बच्चों के रोजगार के विनियमन में कर्मचारियों के लिए मजदूरी का भुगतान, व्यापार विवाद, काम के घंटे शामिल नहीं हैं।
- २) गोदियों (डॉक्स) के संबंध में- गोदी (डॉक) श्रमिक के संबंध में सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित उपायों का विनियमन
- ३) खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन।

भाग II. समवर्ती विषय:

- ४) कारखाने।
- ५) श्रमिकों का कल्याण- अशक्तता पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कारखानों के कार्य स्थिति में सुधार, औद्योगिक उपक्रमों में कैन्टीन सहित श्रमिकों के औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि संबंधित स्थिति, भविष्य निधि, परिवार पेंशन, ग्रेच्युटी, नियोक्ता का दायित्व और कामगारों की क्षतिपूर्ति।
- ६) बेरोजगारी बीमा।
- ७) ट्रेड यूनियन अधिनियम, १९२६ और औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७।
- ८) श्रम आंकड़े ।

- ९) ग्रामीण रोजगार और बेरोजगारी के अलावा रोजगार और बेरोजगारी।
- १०) कारीगरों के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।

भाग III: हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए अतिरिक्त व्यापार:

- ११) ऊपर भाग II में मद उल्लेख किये गए हैं।

भाग IV: ऊपर I, II और III भागों में वर्णित मुद्दों में से किसी भी संबंध में आकस्मिक व्यापार:

- १२) अन्य देशों के साथ संधियों और समझौतों का कार्यान्वयन।
- १३) केन्द्र सरकार के सभी औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्तियां।

भाग IV: विविध व्यापार:

- १४) रोजगार कार्यालय
- १५) भारत और विदेश दोनों में प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए पर्यवेक्षी स्तर पर प्रशिक्षकों, कारीगरों, तकनीशियनों और फोरमैन के प्रशिक्षण की योजनाएं।
- १६) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)
- १७) त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन।
- १८) युद्ध क्षति (क्षतिपूर्ति बीमा) अधिनियम, १९४३ (१९४३ का २३) और योजना।
- १९) कोयला की खानों के अलावा खानों में सुरक्षा और कल्याण से संबंधित कानूनों के प्रशासन, मुख्य खान निरीक्षक के संगठन, बीड़ी और सिगार श्रम कल्याण अधिनियम का प्रशासन और उसके तहत बनाए गए नियम, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए

- नियम, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम और उसके के तहत बनाए गए नियम, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम, सिनेमा श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम।
- २०) भारतीय गोदी श्रमिक अधिनियम, १९३४ का प्रशासन और उसके तहत बनाए गए विनियम और गोदी (डॉक) श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ९) के तहत बनाए गए गोदी (डॉक) श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना, १९६१
- २१) चाय उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ५०) का प्रशासन और उत्प्रवास नियंत्रक श्रम का संगठन
- २२) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ११) का प्रशासन।
- २३) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ३४) का प्रशासन, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५२ (१९५२ के १९५२ के) और उपदान का भुगतान अधिनियम, १९७२ (१९७२ के ३९)।
- २४) केंद्रीय क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम कानून का प्रशासन।
- २५) श्रम आंकड़े: निदेशक श्रम ब्यूरो के संगठन।
- २६) मुख्य श्रम आयुक्त और केन्द्रीय सरकार के संविधान और प्रशासन, औद्योगिक न्यायाधिकरण, केन्द्रीय सरकार के श्रम न्यायालयों, राष्ट्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल. के संगठन।
- २७) मुख्य सलाहकार इकाइयां, कर्मचारी प्रशिक्षण प्रभाग सहित केन्द्रीय श्रम संस्थान, उद्योग केन्द्रों में उत्पादकता और प्रशिक्षण और सुरक्षा के क्षेत्रीय संग्रहालय, स्वास्थ्य और कल्याण के संगठन।
- २८) बागान श्रम अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६९) का बागान श्रम और प्रशासन।
- २९) भर्ती, तैनाती, स्थानांतरण, सतर्कता और केन्द्रीय सरकार के सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), सहायक कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), क्षेत्रीय श्रम आयुक्त सेंट्रल) का प्रशिक्षण, उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण आयुक्त, उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)।

- ३०) श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५५ (१९५५ का ४५) का प्रशासन।
- ३१) श्रमिक शिक्षा के बारे में योजनाएं।
- ३२) प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में योजनाएं।
- ३३) उद्योग में अनुशासन।
- ३४) अलग-अलग उद्योगों के लिए वेतन बोर्डों के संविधान।
- ३५) मोटर परिवहन श्रमिकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन।
- ३६) देश में श्रम कानून के कार्यान्वयन का मूल्यांकन।
- ३७) सिनेमा कार्यकर्ताओं और सिनेमा थिएटर कार्यकर्ताओं के काम की शर्तों और कल्याण से संबंधित कानून का प्रशासन।
- ३८) प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खानों और कारखानों के लिए) राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार।
- ३९) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, १९९६ (१९९६ के २७) अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ (१९९६ के २८)।
- ४०) बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवाओं की शर्तों) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ११)।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के महत्व वाले क्षेत्र


- श्रम नीति और कानून;
- सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रम की कल्याण;
- श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा;
- महिला और बाल श्रमिक जैसे विशेष लक्ष्य समूह से संबंधित नीति;
- केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंध और श्रम कानूनों के प्रवर्तन;

- केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालयों और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के माध्यम से औद्योगिक विवादों के अधिनिर्णय;
- श्रमिक शिक्षा
- श्रम और रोजगार आंकड़े;
- विदेशों में रोजगार के लिए श्रमिकों का उत्प्रवास;
- रोजगार सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण;
- केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार सेवाओं का प्रशासन;
- श्रम और रोजगार के मामले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग;
- श्रम नीति और कानून;
- सुरक्षा, स्वास्थ्य और श्रम की कल्याण;
- श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा;
- महिला और बाल श्रमिक जैसे विशेष लक्ष्य समूह से संबंधित नीति;
- केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंध और श्रम कानूनों के प्रवर्तन;
- केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालयों और राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के माध्यम से औद्योगिक विवादों के अधिनिर्णय;
- श्रमिक शिक्षा और श्रम और रोजगार सांख्यिकी;
- विदेशों में रोजगार के लिए श्रमिकों का उत्प्रवास;
- रोजगार सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण;
- केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार सेवाओं का प्रशासन और श्रम और रोजगार के मामले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग;

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संगठनात्मक चार्ट:

केन्द्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय

श्रम मंत्रालय का संगठन चार्ट



श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मुख्य सचिवालय और अपनी विभिन्न संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों/न्यायकर्ता निकायों और मध्यस्थता निकायों के माध्यम से अपनी भूमिका/कार्यों/कर्तव्यों को पूरा करता है। विवरण इस प्रकार हैं:

मुख्य सचिवालय

संबद्ध कार्यालय

- मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली का कार्यालय
- महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली
- श्रम ब्यूरो, शिमला
- महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान, बॉम्बे

अधीनस्थ कार्यालय

- महानिदेशालय, खान सुरक्षा, धनबाद
- कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, कोलकाता, हैदराबाद, जबलपुर, कर्मा (बिहार) और नागपुर का कार्यालय

निर्णयन निकाय

- केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण व श्रम कोर्ट नंबर १ (बिहार) धनबाद और नंबर १ मुंबई और आसनसोल, कलकत्ता, जबलपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, और बंगलोर

पंचाट (आरबीट्रेशन) निकाय

- पंचाट बोर्ड (जेसीएम), नई दिल्ली

स्वायत्त संगठन

- 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली
- वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश)
- केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

मुख्य सचिवालय, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त संगठन की अपनी खुद की वेबसाइट है जो मंत्रालय की वेबसाइट www.labour.nic.in के साथ जुड़ी हुई है।

मुख्य सचिवालय में निम्न वर्गों/इकाइयों/डेस्क में विभाजित है जिनका विवरण और कार्य इत्यादि मंत्रालय की वेबसाइट www.labour.nic.in में खंड/प्रभाग>आंतरिक कार्य अध्ययन यूनिट>कार्य वितरण शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

क्रम. सं.	अनुभाग	संक्षिप्त नाम
१	प्रशासन - I अनुभाग	प्रशासन-I
२.	प्रशासन - II अनुभाग	प्रशासन-II
३.	प्रशासन - III अनुभाग	प्रशासन-III
४.	लेखा परीक्षा सेल	एसी सेल
५.	बंधुआ श्रमिक धारा	बीएल सैक्शन
६.	बजट और लेखा अनुभाग	बीएंडए सैक्शन
७.	कैरियर प्रबंधन और प्रशिक्षण यूनिट	सीएमटी यूनिट

८.	रोकड़ अनुभाग	कैश सैक्शन
९.	केन्द्रीय श्रम सेवा-I	सीएलएस-I सैक्शन
१०.	केन्द्रीय श्रम सेवा -II	सीएलएस-II सैक्शन
११.	केंद्रीय रजिस्ट्री अनुभाग	सीआर सैक्शन
१२.	बाल एवं महिला श्रम -I अनुभाग	सीएंडडब्ल्यूएल-I सैक्शन
१३.	बाल एवं महिला श्रम -II अनुभाग	सीएंडडब्ल्यूएल-II सैक्शन
१४.	समन्वय अनुभाग	कोऑरडी. सैक्शन
१५.	आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण यूनिट	ईएसए यूनिट
१६.	वित्त -I अनुभाग	फिन.-I सैक्शन
१७.	वित्त -II अनुभाग	फिन.-II सैक्शन
१८.	औद्योगिक संबंध डेस्क (बैंक-I)	आईआर (बी-I) डेस्क
१९.	औद्योगिक संबंध डेस्क (बैंक-II)	आईआर (बी-II) डेस्क
२०.	औद्योगिक संबंध डेस्क (कोयला खान -I)	आईआर (सी-I) डेस्क
२१.	औद्योगिक संबंध डेस्क (कोयला खान -II)	आईआर (सी-II) डेस्क

२२.	औद्योगिक संबंध डेस्क (विभागीय उपक्रम)	आईआर (डीयू) डेस्क
२३.	औद्योगिक संबंध डेस्क (विविध)	आईआर (मिस्लेनियस) डेस्क
२४.	औद्योगिक संबंध डेस्क (क्रियान्वयन- I)	आईआर (आईएमपी.-I) डेस्क
२५.	औद्योगिक संबंध डेस्क (क्रियान्वयन -II)	आईआर (आईएमपी.-II) डेस्क
२६.	औद्योगिक संबंध डेस्क (सामान्य नीति)	आईआर (पीजी) डेस्क
२७.	औद्योगिक संबंध डेस्क (कानून नीति)	आईआर (पीएल) डेस्क
२८.	औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य -I	आईएसएच-I सैक्शन
२९.	औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य -II	आईएसएच -II सैक्शन
३०.	आंतरिक कार्य अध्ययन इकाई	आईडब्ल्यूएसयू यूनिट
३१.	अंतर्राष्ट्रीय श्रम मामलें अनुभाग	आईएलएस सैक्शन
३२.	श्रम सम्मेलन अनुभाग	एलसी सैक्शन
३३.	श्रम दस्तावेज और संदर्भ केन्द्र	एलडीआरसी/लाइब्रेरी
३४.	श्रम कल्याण अनुभाग	एलडब्ल्यू सैक्शन
३५.	संसद यूनिट	पीयू यूनिट
३६.	योजना यूनिट	पीयू यूनिट
३७.	राजभाषा नीति अनुभाग और अनुवाद अनुभाग	हिन्दी यूनिट

३८.	सूचना का अधिकार और विधि प्रकोष्ठ	आरटीआईएंडएल सेल
३९.	ग्रामीण श्रमिक सेल	आरडब्ल्यू सेल
४०.	सामाजिक सुरक्षा -I अनुभाग	एस.एस.-I सैक्शन
४१.	सामाजिक सुरक्षा-II अनुभाग	एस.एस.-. II सैक्शन
४२.	सतर्कता अनुभाग	विज. सैक्शन
४३.	मजदूरी (वेतन) बोर्ड अनुभाग	डब्ल्यूबी सैक्शन
४४.	मजदूरी (वेतन) सेल (न्यूनतम मजदूरी)	डब्ल्यूसी (एमडब्ल्यू) सेल
४५.	कल्याण -I अनुभाग	डब्ल्यू-I सैक्शन
४६.	कल्याण -II अनुभाग	डब्ल्यू-II सैक्शन
४७.	कल्याण-III अनुभाग	डब्ल्यू-III सैक्शन
४८.	कल्याण-IV अनुभाग	डब्ल्यू-IV सैक्शन
४९.	कल्याण-V अनुभाग	डब्ल्यू-V सैक्शन

धारा ४ (१) (ख) (ii): मुख्य सचिवालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य:

‘सूचना सेवा> कार्य वितरण’ शीर्षक के अंतर्गत मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.labour.nic.in पर उपलब्ध है।

धारा ४ (१) (ख) (iii): पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की पद्धति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

अनुभाग में प्राप्त प्राप्तियों पर कार्यालय प्रक्रिया के मानक नियमावली के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। आम तौर पर प्रस्तुत करने के चैनल निम्नानुसार है:-

- (i) डीलिंग हैंड
- (ii) अनुभाग अधिकारी
- (iii) अवर सचिव/उप-निदेशक
- (iv) निदेशक/उप-सचिव
- (v) संयुक्त सचिव/उपमहानिदेशक/आर्थिक सलाहकार
- (vi) अपर सचिव/श्रम और रोजगार सलाहकार
- (vii) सचिव
- (viii) श्रम एवं रोजगार के माननीय केंद्रीय मंत्री

हालांकि, पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का धारा-वार ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट यानी www.labour.nic.in में शीर्षक खंड/प्रभाग>आंतरिक कार्य अध्ययन यूनिट> फाइलों को प्रस्तुत करने के चैनल के तहत देखा जा सकता है।

धारा ४ (१) (ख) (iv): अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड: समय अनुसूची और मामले की अत्यावश्यकता के अनुसार अनुभाग में प्राप्त संदर्भ पर, अत्यंत तत्परता के साथ अनुभाग शीघ्र कार्रवाई करता है।

धारा ४ (१) (ख) (v): इसके नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और रिकॉर्ड या इसके नियंत्रण के तहत या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य करने के लिए प्रयुक्त: अनुभागों द्वारा पालन किया जा रहा मैनुअल कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली है। सभी निष्पादित कार्य इस नियमावली और साथ ही साथ समय-समय पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सांविधिक और मानक आदेशों/परिपत्रों द्वारा शासित किए जाते हैं। इसके अलावा, विभिन्न श्रम अधिनियमों /कानून/नियमों/विनियमों के अनुसार भी पूरा किए जाते हैं जो मुख्य सचिवालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित होते हैं। मुख्य सचिवालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न वर्गों/प्रभागों द्वारा प्रशासित अधिनियमों की सूची इस प्रकार है:

<u>क्रम सं.</u>	<u>अधिनियम का नाम</u>	<u>अनुभाग/प्रभाग</u>
१	बाल श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, १९८६	बाल श्रम-I
२	बाल (श्रम वचन) अधिनियम, १९३३	बाल श्रम-I
३	समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६	बाल एवं श्रम -II
४	व्यक्तिगत क्षति की घटनाएं (आपातकाल) प्रावधान अधिनियम, १९६२	औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य -II (आईएसएच-I अनुभाग)
५	व्यक्तिगत क्षति की घटनाएं (क्षतिपूर्ति बीमा) अधिनियम, १९६३	औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य -II (आईएसएच-I अनुभाग)

६	युद्ध क्षति अध्यादेश अधिनियम, १९४१	औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य -॥ (आईएसएच-१ अनुभाग)
७	युद्ध क्षति (क्षतिपूर्ति बीमा) अधिनियम, १९४३	औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य -॥ (आईएसएच-१ अनुभाग)
८	खान अधिनियम, १९५२	औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य -॥ (आईएसएच-१ अनुभाग)
९	कारखाना अधिनियम, १९४८	औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य -॥ (आईएसएच-१ अनुभाग)
१०	डॉक श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, १९८६	औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य -॥ (आईएसएच-१ अनुभाग)
११	संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, १९७०	श्रम कल्याण अनुभाग (एलडब्ल्यू अनुभाग)
१२	बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, १९७६, और उसके तहत बनाए गए नियम	बंधुआ मजदूर (डीजीएलडब्ल्यू)
१३	अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर (रोजगार और सेवा की शर्तें विनियमन) अधिनियम १९७९	बंधुआ मजदूर (डीजीएलडब्ल्यू)
१४	भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तें विनियमन) अधिनियम, १९९६	बंधुआ मजदूर (डीजीएलडब्ल्यू)
१५	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६	बंधुआ मजदूर (डीजीएलडब्ल्यू)
१६	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८	सामाजिक सुरक्षा-१ (एसएस-१ अनुभाग)
१७	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३	सामाजिक सुरक्षा-१ (एसएस-१ अनुभाग)
१८	मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१	सामाजिक सुरक्षा-१ (एसएस-१ अनुभाग)
१९	नियोक्ता दायित्व अधिनियम, १९३८	सामाजिक सुरक्षा-१ (एसएस-१ अनुभाग)
२०	घातक दुर्घटना अधिनियम, १८५५	सामाजिक सुरक्षा-१ (एसएस-१ अनुभाग)

२१	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, १९५२	सामाजिक सुरक्षा- ॥ (एसएस-॥ अनुभाग)
२२	कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, १९५२	सामाजिक सुरक्षा- ॥ (एसएस-॥ अनुभाग)
२३	कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई), १९७६	सामाजिक सुरक्षा- ॥ (एसएस-॥ अनुभाग)
२४	उपदान का भुगतान अधिनियम, १९७२ और उपदान का भुगतान (केन्द्रीय) नियम १९७२	सामाजिक सुरक्षा- ॥ (एसएस-॥ अनुभाग)
२५	कर्मचारी पेंशन योजना, १९९५	सामाजिक सुरक्षा- ॥ (एसएस-॥ अनुभाग)
२६	असम के चाय बागान भविष्य निधि अधिनियम भुगतान बोनस अधिनियम	सामाजिक सुरक्षा- ॥ (एसएस-॥ अनुभाग)
२७	बोनस का भुगतान अधिनियम, १९६५	मजदूरी (वेतन) बोर्ड (डब्ल्यूबी अनुभाग)
२८	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५५	मजदूरी (वेतन) बोर्ड (डब्ल्यूबी अनुभाग)
२९	श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर का निर्धारण) अधिनियम, १९५८	मजदूरी (वेतन) बोर्ड (डब्ल्यूबी अनुभाग)
३०	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८	मजदूरी (वेतन) सेल [न्यूनतम मजदूरी]
३२	मजदूरी भुगतान अधिनियम, १९३६	मजदूरी (वेतन) सेल [न्यूनतम मजदूरी]
३३	अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम १९४६	कल्याण-॥ (डब्ल्यू॥ अनुभाग)
३४	चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९७२	कल्याण-॥ (डब्ल्यू॥ अनुभाग)

३५	लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९७६	कल्याण-॥ (डब्ल्यू.॥ अनुभाग)
३६	लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९७६	कल्याण-॥ (डब्ल्यू.॥ अनुभाग)
३७	बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, १९७६	कल्याण-॥ (डब्ल्यू.॥ अनुभाग)
३८	बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९७६	कल्याण-॥ (डब्ल्यू.॥ अनुभाग)
३९	सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, १९८१	कल्याण-॥ (डब्ल्यू.॥ अनुभाग)
४०	सिने कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, १९८१	कल्याण-॥ (डब्ल्यू.॥ अनुभाग)
४१	बीड़ी एवं सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, १९६६.	कल्याण-॥ (डब्ल्यू.॥ अनुभाग)
४२	सिने कामगार तथा सिनेमा थिएटर कामगार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, १९८१	कल्याण-॥ (डब्ल्यू.॥ अनुभाग)
४३	औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ और औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७	औद्योगिक संबंध (कानून नीति) (डेस्क) (आईआर-पीएल)
४४	ट्रेड यूनियन अधिनियम, १९२६	औद्योगिक संबंध (कानून नीति) (डेस्क) (आईआर-पीएल)
४५	ई.एस.एम अधिनियम, १९८१ के तहत कार्रवाई के साथ जुड़े सामान्य मुद्दे	औद्योगिक संबंध (कानून नीति) (डेस्क) (आईआर-पीएल)
४६	बागान श्रम अधिनियम, १९५१ और संबंधित मामले	-तदैव-
४७	साप्ताहिक छुट्टियां अधिनियम, १९४२	औद्योगिक संबंध (कानून नीति) (डेस्क) (आईआर-पीएल)
४८	राष्ट्रीय और त्यौहार की छुट्टियां अधिनियम और उससे संबंधित मामले	औद्योगिक संबंध (कानून नीति) (डेस्क) (आईआर-पीएल)
४९	दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम	औद्योगिक संबंध (कानून नीति) (डेस्क) (आईआर-पीएल)

५०	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम १९४६	औद्योगिक संबंध (कानून नीति) (डेस्क) (आईआर-पीएल)
५१	औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम १९५१	औद्योगिक संबंध (सामान्य नीति) (आईआर-पीजी)
५२	औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७	औद्योगिक संबंध (सामान्य नीति) (आईआर-पीजी)
५३	प्रशिक्षु अधिनियम, १९६१	डीजीईएंडटी
५४	रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम १९५९	डीजीईएंडटी
५५	मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम १९६१	समन्वय
५६	विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम १९७६	समन्वय
५७	श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, १९८८	समन्वय
५८	श्रम विधि (स्थापनों द्वारा रजिस्ट्रों का रखरखाव और वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत) और विविध प्रावधान बिल, २००३.	समन्वय

हालांकि 'श्रम मंत्रालय के अधिनियम' शीर्षक के अंतर्गत मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.labour.nic.in पर विभिन्न श्रम अधिनियम उपलब्ध हैं।

धारा ४(१) (ख) (vi): दस्तावेजों की श्रेणियों का एक विवरण जो इसके पास है या इसके नियंत्रणाधीन है: श्रम अधिनियमों/ कानून/नियम/नियमों/विनियम/सूचनाएं आदि जो इसके पास है या संबंधित अनुभाग /प्रभाग के

नियंत्रणाधीन है जो उस श्रम अधिनियम को प्रशासित करते हैं। इस के अलावा, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज/रिपोर्टों के नाम नीचे दिए गए हैं जिसे मंत्रालय की वेबसाइट यानी www.labour.nic.in पर देखा जा सकता है:

- क) मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट
- ख) मंत्रालय के नागरिक चार्टर
- ग) एचआईवी/एड्स पर राष्ट्रीय नीति
- घ) कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति
- ङ) कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति
- च) सामरिक योजना के दस्तावेज
- छ) रोकथाम, बचाव, प्रत्यावर्तन और तस्करी और प्रवासी बाल श्रम के पुनर्वास पर मसौदा प्रोटोकॉल
- ज) रोजगार पर लोगों की वार्षिक रिपोर्ट
- झ) श्रम सांख्यिकी
- ञ) सूचकांक
- ट) न्यूनतम मजदूरी
- ठ) सुरक्षा और दुर्घटना सांख्यिकी
- ड) ईपीएफओ ऑपरेशनल सांख्यिकी

धारा ४(१) (ख) (vii): किसी भी व्यवस्था के विवरण जो इसके नीति के प्रतिपादन के संबंध में जनता के सदस्यों अथवा इसके कार्यान्वयन, इसके परामर्श, अथवा प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद हैं: संबद्ध विषयों पर आम सहमति विकसित करने के लिए, जब कभी भी आवश्यक हो, विभिन्न उपयुक्त मंचों/त्रिपक्षीय समितियों के साथ बैठक पणधारकों के साथ विचार-विमर्श किए जाते हैं। इसके अलावा, अपेक्षानुसार, इंटरनेट के माध्यम से मसौदा पर नागरिकों से टिप्पणियां भी आमंत्रित किए जाते हैं।

धारा ४(१) (ख) (viii): बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर अपने भाग के रूप में या उन बोर्डों के लिए गठित परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की के विवरण आम जनता के लिए खोले जाते हैं या ऐसे बैठक के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध किए जाते हैं: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत समिति/बोर्डों की सूची (सांविधिक /गैर-वैधानिक) नीचे दी गई है:

क्रम सं.	समितियों के नाम / श्रम और रोजगार मंत्रालय (वैधानिक/गैर-संवेधानिक) के तहत बोर्ड	अनुभाग
वैधानिक		
०१.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	एसएस-1
०२.	स्थायी समिति (ईएसआईसी)	एसएस-1
०३.	चिकित्सा लाभ परिषद (ईएसआईसी)	एसएस-1
०४.	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि)	एसएस-11
०५.	कार्यकारी समिति (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)	एसएस-11
०६.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा ७ के तहत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, १९४८	मजदूरी (वेतन) सेल
०७.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ८ के तहत न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड	मजदूरी (वेतन) सेल
०८.	एक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और गैर-पत्रकार अखबार के कर्मचारियों के लिए दो मजदूरी बोर्ड	मजदूरी बोर्ड
०९.	केन्द्रीय शिक्षुता परिषद (सीएसी)	डीजीईएंडटी
१०.	संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, १९७० के तहत केन्द्रीय सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड	एलडब्ल्यू

११.	भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तें विनियमन) अधिनियम, १९९६ के तहत केन्द्रीय सलाहकार समिति	बीएल
१२.	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड	आरडब्ल्यू
१३.	बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति	डब्ल्यू-॥
१४.	चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति कल्याण निधि	डब्ल्यू-॥
१५.	लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति खान श्रम कल्याण निधि	डब्ल्यू-॥
१६.	सिने कामगार कल्याण निधि के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति	डब्ल्यू-॥
१७.	डॉक श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, १९८६ के तहत सलाहकार समिति	आईएसएच-॥
१८.	खान अधिनियम, १९५२ की धारा १२, के तहत समिति	आईएसएच-॥
१९.	कोयला खान विनियम, १९५७ की धारा ११ के तहत खनन परीक्षाओं के बोर्ड का गठन	आईएसएच-॥
२०.	धातु खान विनियमन की धारा ११ के तहत खनन परीक्षा बोर्ड गठन	आईएसएच-॥
२१.	बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति	सीएंडडब्ल्यूएल-।
२२.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६ के तहत केन्द्रीय सलाहकार समिति	सीएंडडब्ल्यूएल-॥
गैर - संबंधित		
०१.	बागान-उद्योग पर त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति	आईआर(पीएल)
०२.	सड़क परिवहन उद्योग के लिए औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति	आईआर(पीएल)

०३.	सूती वस्त्र उद्योग के लिए औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति	आईआर(पीजी)
०४.	जूट उद्योगों के लिए औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति	आईआर(पीजी)
०५.	इंजीनियरिंग उद्योग के लिए औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति	आईआर(पीजी)
०६.	बिजली उत्पादन और वितरण के लिए औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति	आईआर(पीजी)
०७.	हिंदी सलाहकार समिति	आरबीएन
०८.	नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (डीजीईएंडटी)	डीजीईएंडटी
०९.	भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी)	एलसी
१०.	स्थायी श्रम समिति (स्थायी श्रम समिति)	एलसी
११.	राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) समिति	आईएसएच-1
१२.	विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति	आईएसएच-1
१३.	सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समिति	आईएसएच-11
१४.	बाल श्रम के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड	सीएंडडब्ल्यूएल-1
१५.	श्रमिक शिक्षा के लिए केंद्रीय बोर्ड के शासी निकाय	ईएसए
१६.	सामान्य परिषद्, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा	ईएसए
१७.	कार्यकारी परिषद्, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा	ईएसए

उपरोक्त समिति/बोर्ड की बैठकों के विवरण आरटीआइ अधिनियम, २००५ के अनुच्छेद ८(१) के तहत लोगों के लिए उपलब्ध हैं।

धारा ४ (१) (ख) (ix): इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका: 'टेलीफोन निर्देशिका' शीर्षक के अंतर्गत मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.labour.nic.in पर उपलब्ध है।

धारा ४(१) (ख) (x): विनियमनों में प्रदत्त क्षतिपूर्ति प्रणाली समेत हरेक अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक;- श्रम तथा रोजगार मंत्रालय की भुगतान संरचना निम्नांकित तालिका में दी गई हैं:

क्र. सं.	बैंड वेतन / ग्रेड वेतन (रु. में)	पदों की स्थिति		पदों के समूह समूह क, ख, ग, अवर्गीकृत	पदों की कुल संख्या
		राजपत्रित/ अराजपत्रित	नियमित / अस्थायी / तदर्थ		
१	२	३		४	५
१.	सचिव रु. ८००००/- (सर्वोच्च स्केल)	राजपत्रित	नियमित	समूह क	०१
२.	अपर सचिव, एचएजी- ६७०००-७९०००/-	राजपत्रित	अस्थायी	समूह क	०१
३.	अपर सचिव, एचएजी- ६७०००-७९०००/-	राजपत्रित	अस्थायी	समूह क	०१
४.	संयुक्त सचिव पीबी-४/१००००	राजपत्रित	नियमित	समूह क	०२
५.	संयुक्त सचिव पीबी-४/१००००	राजपत्रित	अस्थायी	समूह क	०१

६.	निदेशक/ उप-सचिव पीबी-४/८७००/पीबी-३/७६००	राजपत्रित	नियमित	समूह क	११
७.	अवर सचिव पीबी-३/६६००	राजपत्रित	नियमित	समूह क	२३
८.	अनुभाग अधिकारी पीबी-२ एवं ३*/४८०० एवं ५४००*	राजपत्रित	नियमित	समूह ख	४६
९.	अनुभाग अधिकारी पीबी-२ एवं ३*/४८०० एवं ५४००*	राजपत्रित	अस्थायी	समूह ख	०१
१०.	सहायक पीबी-२/४६००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ख	८७
११.	वरिष्ठ प्रधान प्राइवेट सेक्रेटरी पीबी-३/७६००	राजपत्रित	नियमित	समूह क	०१
१२.	प्रधान प्राइवेट सेक्रेटरी पीबी-३/६६००	राजपत्रित	नियमित	समूह क	०१

१३.	प्राइवेट सेक्रेटरी पीबी-२एवं३*/४८०० एवं ५४००*	अराजपत्रित	नियमित	समूह ख	१०
१४.	व्यक्तिगत सहायक पीबी-२/४८००** एवं ४६००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ख	२९
१५.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी' पीबी-२/२४००	राजपत्रित	नियमित	समूह ग	४२
१६.	वरिष्ठ विश्लेषक पीबी-३/६६००	राजपत्रित	नियमित	समूह क	०१
१७.	कनिष्ठ विश्लेषक पीबी-२एवं३*/४८०० एवं ५४००*	अराजपत्रित	नियमित	समूह ख	०२
१८.	अनुसंधान सहायक पीबी-२/४६००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ख	०२
१९.	उच्च श्रेणी लिपिक पीबी-१/२४००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	५१

२०.	अवर श्रेणी लिपिक पीबी-१/१९००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	३०
२१.	संयुक्त निदेशक (ओएल) पीबी-३/७६००	राजपत्रित	नियमित	समूह क	०१
२२.	सहायक निदेशक (ओएल) पीबी-३/५४००	राजपत्रित	नियमित	समूह ख	०१
२३.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक पीबी-२/४६००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	०२
२४.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पीबी-२/४२००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	०५
२५.	पुस्तकालय सहायक एवं सूचना अधिकारी पीबी-२/४८००	राजपत्रित	नियमित	समूह ख	०१
२६.	पुस्तकालय और सूचना सहायक पीबी-२/४२००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	०४

२७.	पुस्तकालय लिपिक पीबी-१/१९००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	०१
२८.	वरिष्ठ पुस्तकालय परिचर पीबी-१/१८००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	०१
२९.	स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-1) पीबी-१/२८००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	०१
३०.	स्टाफ कार ड्राइवर (ओजी) पीबी-१/१९००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	०५
३१.	स्कूटर चालक / डिस्पैच राइडर पीबी-१/१९००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	०३
३२.	एम. एम. ओ. पीबी-२/४६००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ख	०१
३३.	वरिष्ठ गस्टेटनर प्रचालक पीबी-१/१९००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	०१

३४.	कनिष्ठ गस्टेटनर प्रचालक पीबी-१/१८००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	०१
३५.	वरिष्ठ चपरासी पीबी-१/१८०० और १९००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	०५
३६.	दफ्तरी पीबी-१/१८०० और १९००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	२८
३७.	चपरासी पीबी-१/१८००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	५७
३८.	फर्श पीबी-१/१८००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	०५
३९.	सफाईवाला पीबी-१/१८००	अराजपत्रित	नियमित	समूह ग	१२
कुल					४७७

धारा ४(१) (ख) (xi): इसकी हरेक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय तथा संपन्न भुगतान की रिपोर्ट के विवरणों का संकेत करता है।

धारा ४ (१) (ख) (xii): आवंटित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण समेत अनुदान कार्यक्रमों के क्रियांवयन का तरीका;

धारा ४(१) (ख) (xiii): छूट, परमिट्स की पावती या इसके द्वारा मंजूर प्राधिकरण के विवरण;- सेक्शन ४(१)(b)(xi) से (xiii) के संदर्भ में सूचनाएं मंत्रालय की वेबसाइट www.labour.nic.in पर निम्नांकित शीर्षकों के तहत उपलब्ध हैं:

प्रधान लेखा कार्यालय
व्यय और प्राप्तियों के विवरण
राज्यों को सहायता अनुदान
अनुदान और परिणामी बजट के लिए विस्तृत मांग
मंत्रालय बजट

धारा ४(१) (ख) (xiv): इसके पास उपलब्ध जानकारी के संबंध में ब्यौरा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संक्षिप्त कर दिया गया है; मंत्रालय इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से नियमित अंतराल पर जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से कदम उठाता है। तदनुसार, सभी श्रम कानून/नियम/सूचनाएं/संशोधन/रिपोर्ट/श्रमिक आंकड़े आदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरक्षित किए जाते हैं।

धारा ४(१)(ख)(xv): नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने की सुविधाओं का विवरण जिसमें यदि कोई सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए प्रयुक्त लाइब्रेरी या रीडिंग रूम हो तो उसके कार्य समय भी शामिल है;

और

धारा ४ (१) (ख) (xvi): लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, और अन्य ब्यौरे: श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के मुख्य सचिवालय ने सभी अंडर सेक्रेटरीज/डेस्क अधिकारियों/उप-निर्देशकों/कार्य संपन्न किए संबद्ध विभागों के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में समतुल्य अधिकारियों को नामित किया है।

इसके अलावा, एक केंद्रीय आरटीआई सैल भी स्थापित की गई है जिसकी अध्यक्षता उप-सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों और संबद्ध निकायों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के उद्देश्य के लिए नोडल अधिकारी होगा। यह आरटीआई प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी सीपीआईओ की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के तहत अनुरोध प्राप्त करे और संबंधित सीपीआईओ को अग्रेषित करे। सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा (६) (१) के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध दस रूपए के आवेदन शुल्क के साथ किया जाएगा जो उचित रसीद के माध्यम से नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से लेखा अधिकारी/वेतन और लेखा अधिकारी (एमएस), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को या आरटीआई अधिनियम, २००५ के तहत निदेशक/ नोडल अधिकारी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -११०००१ को डाक के माध्यम से भुगतये होगा।

सभी निदेशक/उप सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मुख्य सचि. के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के प्रयोजनार्थ अपीलीय प्राधिकारी होंगे।